



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 1 जुलाई, 2020

आषाढ़ 10, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-3

संख्या 680/9-3-2020-157सी-04
लखनऊ, 1 जुलाई, 2020

अधिसूचना

प0आ0-168

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975) की धारा 4 (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल शासन के अगिम आदेश तक श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975) की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश जल निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को अलग से कोई भी वेतन, भत्ता अथवा मानदेय देय नहीं होगा।

आज्ञा से,
सुधा शुक्ला,
विशेष सचिव।

No. 680(2) /IX-3-2020-157C-04

Dated Lucknow, July 1, 2020

IN exercise of the powers conferred under section 4(1) of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 (U.P Act no. 43 of 1975) the Governor is pleased to appoint, Sri Deepak Kumar, Principal Secretary Nagar Vikash Vibhag, Uttar Pradesh Shasan, as the Chairman of the Uttar Pradesh Jal Nigam constituted under section 3(1) of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 (U.P Act no. 43 of 1975) from the date of taking over charge of the said post, till further order of the Government.

Any other payment like salary, allowance or honorarium will not be paid to Sri Deepak Kumar, Principal Secretary Nagar Vikash Vibhag, Uttar Pradesh Shasan for this.

By order,
SUDHA SHUKLA,
Vishesh Sachiv.